

# ॥ कार्यालय नगर पालिक निगम दुर्ग ॥

निविदा सूचना

क्रमांक / / कर्मशाला / टेक्टर / 2017

दुर्ग, दिनांक . . . . .

एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी के अधिकृत विक्रेता/निर्माताओं एवं विक्रेताओं, स्थानीय व्यक्तियों से हाईड्रोलिक सिस्टम टेक्टर किराये से उपलब्ध कराने मुहर बंद लिफाफे में निविदा दिनांक ~~24/01/2017~~ को शाम 5.30 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय कर्मशाला में आमंत्रित की जाती है। जो कि दूसरे दिन दिनांक ~~25/01/2017~~ को उपस्थित निविदाकारों व उसके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष शाम 5.30 बजे निविदा खोली जाएगी।

क्रं0	उपकरणों का नाम व विवरण	अनुमानित संख्या	अनु0लागत लाख मे	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य डी.डी. में
01	हाईड्रोलिक सिस्टम टेक्टर, निगम के कन्टेनर से प्रतिदिन पांच स्थानों से कन्टेनर उठाकर ट्रेचिंग ग्राउण्ड में खाली करने एवं वापस उसी स्थान पर रखने के कार्य हेतु व पर्यावरण एवं अन्य विभागों के कार्य हेतु टेक्टर किराये पर उपलब्ध कराने हेतु	04	19.20 लाख वार्षिक	20,000 / - रु0 एफडीआर	1000 / - रु0 डी0डी0

हाईड्रोलिक सिस्टम टेक्टर, निगम के कन्टेनर से प्रतिदिन पांच स्थानों से उठाकर ट्रेचिंग ग्राउण्ड में खाली करने एवं वापस उसी स्थान पर रखने तथा पर्यावरण एवं अन्य विभागों के कार्य हेतु किराये से टेक्टर उपलब्ध कराने, सामान्य शर्तें, व धरोवर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी कार्यालयीन अवधि में कार्यालय कर्मशाला विभाग से निविदा जमा होने के एक दिन पूर्व तक प्राप्त किया जा सकता है तथा प्रपत्र की राशि डी0डी0 में निविदा के साथ जमा करना होगा एवं निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट [www.municipalcorporationdurg.com](http://www.municipalcorporationdurg.com) से भी डाउन लोड की जा सकती है। व प्राप्त की जा सकती है। निविदा दिनांक के एक दिन पूर्व तक प्रपत्र प्राप्त कर सकते हैं। निविदाकार को अपने निविदा पर विषय व विभाग का नाम स्पष्ट लिफाफे पर लिखन अनिवार्य होगा।

कार्यपालन अभियंता,  
वास्ते/आयुक्त, न0पा0नि0 दुर्ग

पृ0क्रं0 / 709 / कर्मशाला / टेक्टर / 017  
प्रतिलिपि-

1. माननीय महापौर महोदय, न0पा0नि0दुर्ग को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. कम्प्यूटर प्रभारी को विभागीय वेबसाइट पर डाउन लोड करने बाबत।
3. जनसंपर्क अधिकारी न0पा0नि0दुर्ग को दैनिक समाचार पत्र के किसी एक अंक में प्रकाशित करने हेतु।
4. सूचना फलक मुख्य कार्यालय में सादर अवलोकनार्थ।

कार्यपालन अभियंता,  
वास्ते/आयुक्त, न0पा0नि0 दुर्ग

## ट्रैक्टर किराये पर लिये जाने का निविदा के नियम व शर्तें

1. अमानत राशि 8000/- आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, दुर्ग को एफ0डी0आर0 संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
2. उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर का पंजीयन/बीमा इत्यादि दस्तावेज होना अनिवार्य होगा
3. उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर के चालक के पास जीवित लायसेंस वैध होना अनिवार्य है ।
4. ट्रैक्टर उपलब्ध कराये जाने के समय का विशेष ध्यान रखकर निर्धारित समय व स्थल में उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा ।
5. उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर में चालक डीजल/आईल रख-रखाव मेंटेनेन्स आदि की व्यवस्था निविदाकार की होगी । उपलब्ध कराये जाने वाले ट्रैक्टर में डीजल/आईल रख-रखाव मेंटेनेन्स आदि की व्यवस्था निविदाकार की होगी ।
6. प्रतिदिन ट्रैक्टर ट्राली को सुबह 06:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक नियमित कार्य करना होगा ।
7. निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा ।
8. ट्रैक्टर मांगे जाने पर नियमित तौर पर उपलब्ध करवाने की जवाबदारी निविदाकार की होगी ।
9. कार्य अवधि में ट्रैक्टर में कोई तकनिकी खराबी/दुर्घटना इत्यादि होने पर उसका संपूर्ण जवाबदारी संबंधित निविदाकार की होगी । जिसका निपटान उनको स्वयं करना होगा
- ✓10. प्रतिदिन किये गये कार्य का सत्यापन संबंधित अधिकारी/कर्मचारी से कार्य स्थल पर ही करवाना अनिवार्य होगा ।
- ✓11. किये गये कार्य का देयक भुगतान संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के सत्यापन के पश्चात् ही भुगतान की कार्यवाही की जावेगी ।
- ✓12. कार्य संतोषप्रद नही होने पर देयक राशि से 10 प्रतिशत कटौती की जावेगी ।
- ✓13. कार्य उचित व संतोषप्रद तथा ट्रैक्टर समय पर मांग अनुसार उपलब्ध नही कराये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी ।
14. निविदा स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार महापौर/आयुक्त नगर निगम, दुर्ग को होगा ।
15. निविदा के निर्धारित फार्म अमानत राशि के व्यय संबंधित निविदाकार को वहन करना होगा ।
16. निविदा के दस्तावेज अलग लिफाफे में व अमानत राशि अलग लिफाफे में जमा करना होगा ।
17. निविदा सीधे पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त किया जावेगा ।

18. निविदा स्वीकृत होने पर 100/- रुपये के शपथ पत्र पर अनुबंध करना अनिवार्य होगा ।
19. निविदा आवश्यकतानुसार ट्रैक्टर विथ चालक आमंत्रित है जिसे आवश्यकतानुसार कम या अधिक किया जा सकता है ।
20. ट्रैक्टर में ले जाने वाले कचरे का वजन न्यूनतम भार क्षमता के अनुसार होना चाहिए। उससे कम वजन का कचरा ट्रेडिंग ग्राउन्ड में अमान्य कर दिया जाएगा ।
21. कार्य संतोष जनक होने पर एक वर्ष के लिए दी जाएगी ।
22. दर स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त, नगर पालिक निगम, दुर्ग के पास सुरक्षित रहेगा ।
23. चालक का ई0पी0एफ0 आदि स्वयं निविदाकार को भुगतान करना होगा तथा श्रम नियम का पालन करने का अधिकार निविदाकार की होगी ।
24. निविदाकार का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा ।

आयुक्त  
नगर पालिक निगम, दुर्ग